संख्या-42/2016/ 1449/38-4-16-14(विविध)/2016टीसी0

प्रेषक,

आशीष कुमार गोयल,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक- 08 नवम्बर,2016**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के अन्तर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना, ओ0डी0एफ0 ग्राम, आई-स्पर्श ग्रामों के संतृप्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1086/वि0का0/पी0एम0ए0वाई0-जी0/2016, दिनांक-28.09.2016 एवं तत्संलग्न सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत फेज-1 एवं फेज-2 में चिन्हित ग्रामों, ओ0डीएफ ग्रामों, Rurban Cluster के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों की सूची तथा पत्र संख्या-1177/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2016, दिनांक-14.10.2016 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-जी-20011/01/2015-आर0एच0(ए/सी), दिनांक-06-10-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना, ओ0डी0एफ0 ग्राम, आई-स्पर्श ग्रामों के संतृप्तीकरण के सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2016 को सम्पन्न बैठक में हुई चर्चा के क्रम में उपर्युक्त संदर्भित पत्र संख्या-1177/वि0का0/ प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2016, दिनांक-14.10.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव एवं इम्पावर्ड कमेटी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक दिनांक 23.08.2016 में लिये गये निर्णय पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निम्न वरीयता के अनुसार ग्रामों को संतृप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अन्तर्गत फेज-1 एवं फेज-2 में चिन्हित 104 ग्राम।
(2) प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ओ0डी0एफ0 के अन्तर्गत चिन्हित 10 ग्राम।
(3) डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन RURBAN मिशन में चिन्हित क्लस्टर के ग्राम।
(4) DAY-NRLM के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्त नेटवर्क वाले चिन्हित प्रत्येक जनपद के 05-05 ग्राम।
(5) पोषण मिश्न के अन्तर्गत चिन्हित प्रत्येक जनपद के 10-10 ग्राम।
(6) आई-स्पर्श ग्रामों को भी संतृप्तीकरण हेतु सम्मिलित किया जाना।

3- कृपया उपर्युक्त लिये गये निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आशीष कुमार गोयल)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-42/2016/1449(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- अनु सचिव, (श्री पी0 के0 सिंह) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र सं0-जी-20011/01/ 2015-आर0एच0(ए/सी), दिनांक-06-10-2016 संदर्भ में।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
8-मिशन निदेशक, उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एल्डिको कार्पोरेट टांवर, गोमती नगर, लखनऊ।
9-निदेशक शयामा प्रसाद मुखर्जी, रर्बन मिशन, उ0 प्र0 लखनऊ।
10-निदेशक, पोषण मिशन, उ0 प्र0।
11-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13-समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14-समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15-नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
16-ग्राम्य विकास अनुभाग-2/5/6/7 एवं 9, उ0 प्र0 शासन।
17-समग्र ग्राम विकास अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
18-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।